भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 144

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की ऋण राशि को बट्टा खाता में डालना

144. श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्षेत्र-वार और राज्य-वार बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वैध संपार्श्विक के बिना उधारकर्ताओं को ये ऋण देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बट्टे खाते में डालने से पहले सरकार द्वारा इन ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सरकार बैंकों द्वारा उधारकर्त्ताओं को दिए गए ऋणों को बट्टे खातें नहीं डालती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ, उन अनुपोज्य आस्तियों के बट्टे-खाते डाल दिया है, जिनके संबंध में चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है। ऐसे बट्टे-खाते डालने से उधारकर्ता की जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है, इस प्रकार बट्टे-खाते डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बैंक द्वारा इन खातों से वसूली के लिए आरंभ की गई कार्रवाई जारी रहती है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर) द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने अवगत कराया है कि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में राज्य-वार सूचना उसके द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने बोर्डों द्वारा विधिवत पुनरीक्षित ऋण नीति लागू करें। बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और व्यापक विनियामकीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सम्पार्श्विकों की अपेक्षा सहित ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं।

(ङ): ऋणों को बट्टे खाते डालने से पहले, बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों जैसे सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमा दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई, दिवाला और शोधनअक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामले दायर करना, बातचीत के जरिए, निपटान/समझौते के जरिए और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की ब्रिकी के माध्यम से वसूली की कार्रवाई करते हैं।

*****

अनुबंध

इरादतन चूककर्ताओं के बट्टे-खाते डाले गए ऋणों से संबंधित नीति के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 144

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋण

(*राशि करोड़ रुपये में*)

क्षेत्र	***वित्तीय वर्ष*** **2021-22**	***वित्तीय वर्ष*** **2022-23**	***वित्तीय वर्ष*** **2023-24**
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	32,253	30,733	38,764
उद्योग	1,67,000	2,16,865	1,80,506
सेवा	57,508	86,869	52,862
खुदरा ऋण	94,617	1,02,511	90,470

स्रोत: आरबीआई

*****